UPMT010004042026

न्यायालय:-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–883/2026
भीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–109/2025, धारा–303(2) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली, जिला मथुरा के अभियुक्त **भीम** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा भीम सैनी द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसका ट्रेक्टर आयशर 380 सिल्वर रंग देवेन्द्र हॉस्पिटल की गली राधिका बिहार फेस द्वितीय के पास से 08.12.2024 को रात्रि करीब 01 बजे चोरी हो गया था, जिसकी सूचना उसके द्वारा 112 नम्बर पर की गयी तथा मौके पर पुलिस आयी, उक्त लोग पूछताछ करके चले गये। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। उक्त घटना की रिपोर्ट दो की देरी से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और न ही अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त अ०सं०–659/2025 में जमानत पर है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–12.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा का ट्रेक्टर चोरी कर ले जाने का आरोप है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बताया गया है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.03.18 11:34:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–12.01.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उक्त मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–16.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।ृ